


26-8-19

प्रार्थी अपीलार्थी पक्ष के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। चूंकि मूल अपील आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


अति. जिला कलेक्टर, सिरोही